

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पारपत्र) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3(ए)09/2019/ए-1/दो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/01/2019

पुलिस अधीक्षक
जिला-इन्दौर
(म0प्र0)

विषय:- 90 दिन का वापसी पृष्ठाकन/निवासवृद्धि पाक नागरिका-श्रीमती शोभी पत्नी श्री नंदलाल निवासी जिला इंदौर।

संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्रमांक जिविशा/इन्दौर/पाक 2019(47/18,) दि.09.01.2019

—00—

पाक नागरिका श्रीमती शोभी पत्नी श्री नंदलाल को 90 दिन दि.23.04.2019 तक वापसी पृष्ठाकन स्वीकृत किया जाता है। पारपत्र यथा विधि वितरण हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पारपत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति शीघ्र भेजे।

2/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर.पी.पृष्ठांकित किया जाकर चेक पोस्ट को सूचना दी जाय। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।

1 श्रीमती शोभी पत्नी श्री नंदलाल मूल पारपत्र क्रमांक AK-5046172

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(डी.एस.मुकाती)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग
भोपाल, दिनांक 24/01/2019

क्रमांक एफ-3(ए)09/2019/ए-1/दो
प्रतिलिपि:-

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा गुप्तवार्ता(बी) म.प्र. भोपाल, के पत्र क्रमांक विशा/20/पाक/2019-20(22)दि.22.01.2019 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 आवेदिका श्रीमती शोभी पत्नी श्री नंदलाल निवासी 114-बी गोपालबाग कालोनी जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 3 सामान्य शाखा गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर अपडेट करने हेतु।


अवर सचिव

म0प्र0शासन गृह (पारपत्र)विभाग